International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणाः बी॰ आर॰ अंबेडकर का अध्ययन

नरेंद्र कुमार जाट[1], एवं डॉ॰ सोमवती शर्मा[2]

[1]पीएचडी शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय
[2]आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (कोटा विश्वविद्यालय)

शोध सार
सामाजिक न्याय आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, जो प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर सुनिश्चित करता है। भारतीय संदर्भ में यह अवधारणा विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यहाँ की सामाजिक संरचना सदियों से जाति-आधारित असमानता, अस्पृश्यता और भेदभाव से ग्रस्त रही है। इस पृष्ठभूमि में डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का चिंतन सामाजिक न्याय की भारतीय अवधारणा को एक ठोस सैद्धांतिक और व्यावहारिक आधार प्रदान करता है। अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय केवल आर्थिक या राजनीतिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के त्रिविध मूल्यों पर आधारित एक जीवन-पद्धति है। प्रस्तुत आलेख का उद्देश्य सामाजिक न्याय की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त अन्याय के स्वरूप, अंबेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना, इसके मूल तत्वों, तथा इसकी प्राप्ति के लिए उनके द्वारा अपनाए गए साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। साथ ही, संविधान में समाहित सामाजिक न्याय के प्रावधानों और समकालीन भारत में इस अवधारणा की प्रासंगिकता पर भी विचार किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि अंबेडकर की सामाजिक न्याय की परिकल्पना आज भी अधूरी है और उसे व्यवहार में उतारने के लिए निरंतर सामाजिक, शैक्षिक और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द ः सामाजिक न्याय, बी॰ आर॰ अंबेडकर, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, भारतीय संविधान, मानव गरिमा, लोकतंत्र।

1॰ प्रस्तावना
भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी और सांस्कृतिक रूप से विविधता से परिपूर्ण राष्ट्र है। किंतु इस विविधता के भीतर एक गहरी विडंबना भी छिपी है ः वह है सदियों से चली आ रही सामाजिक असमानता, जो जाति, वर्ण, लिंग, धर्म और आर्थिक स्थिति के आधार पर मनुष्य को मनुष्य से विभाजित करती रही है। इस विभाजनकारी व्यवस्था ने समाज के एक विशाल वर्ग को शिक्षा, सम्मान, संपत्ति और समान अवसरों से वंचित रखा। ऐसे में सामाजिक न्याय की अवधारणा केवल एक दार्शनिक विचार न रहकर, भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की अनिवार्य शर्त बन जाती है (अंबेडकर, 2014, पृ॰ 46ः47)।
सामाजिक न्याय की भारतीय अवधारणा को समझने के लिए डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का चिंतन सर्वाधिक प्रासंगिक और मौलिक स्रोत है। एक ऐसे समुदाय में जन्म लेने के कारण, जिसे परंपरागत समाज ने "अछूत" मानकर मानवीय अधिकारों से बहिष्कृत कर दिया था, अंबेडकर ने असमानता और भेदभाव को केवल पढ़ा या सुना

नहींए बल्कि स्वयं भोगा। यही व्यक्तिगत अनुभव उनके सामाजिक न्याय.चिंतन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में जहाँ सामाजिक न्याय की चर्चा प्रायः काल्पनिक या सैद्धांतिक धरातल पर होती हैए वहीं अंबेडकर का न्याय.चिंतन यथार्थ जीवन की पीड़ाए शोषण और संघर्ष से उपजा है ;अंबेडकरए 1993ए पृ॰ 665द्ध 667द्ध।

अंबेडकर के लिए सामाजिक न्याय का अर्थ केवल कानूनी अधिकारों की सूची तैयार कर देना नहीं थाए बल्कि उसका उद्देश्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जन्म के आधार पर नहींए बल्कि उसकी योग्यता और मानवीय गरिमा के आधार पर सम्मान और अवसर मिले। उनकी दृष्टि में राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थायी हो सकता हैए जब उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र हो और स्वतंत्रताए समानता तथा बंधुत्व को जीवन.मूल्यों के रूप में स्वीकार किया जाए। प्रस्तुत आलेख इसी दृष्टिकोण से भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा का अंबेडकर के चिंतन के आलोक में विश्लेषण प्रस्तुत करता है ;संविधान सभा वाद.विवादए 1949ए पृ॰ 979द्ध980द्ध।

2॰ सामाजिक न्याय की अवधारणाः सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझने से पूर्व श्न्यायश के अर्थ को समझना आवश्यक है। प्राचीन काल में न्याय को प्रायः नैतिकताए पवित्रता और धार्मिक कर्तव्य के पर्याय के रूप में देखा जाता था। भारतीय परंपरा में इसे श्धर्मश से जोड़ा गयाए जबकि यूनानी चिंतन में प्लेटो और अरस्तू ने न्याय को एक नैतिक गुण एवं आदर्श राज्य की अनिवार्य शर्त माना। किंतु इन प्राचीन धारणाओं में न्याय का स्वरूप प्रायः तत्कालीन सामाजिक पदानुक्रम को न्यायसंगत ठहराने वाला रहाए जिसमें असमानता को स्वाभाविक और स्वीकार्य मान लिया गया था ;प्लेटोए 1992ए पृ॰ 108द्ध109य अरस्तूए 1999ए पृ॰ 67द्ध68द्ध।

आधुनिक युग में मुद्रणए औद्योगीकरणए विज्ञान और लोकतंत्र के विकास ने न्याय की अवधारणा को नई दिशा दी। सामाजिक न्याय की धारणा उन्नीसवीं शताब्दी से समाजवादी चिंतन के केंद्र में रहीए किंतु बीसवीं शताब्दी में जॉन रॉल्स की कृति श्ए थ्योरी ऑफ जस्टिसश ;1971द्ध के साथ यह पुनः गंभीर दार्शनिक विमर्श का विषय बनी। रॉल्स ने न्याय को श्सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुणश बताते हुए इसे निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया। किंतु रॉल्स का न्याय.सिद्धांत जहाँ काल्पनिक श्मूल स्थितिश और श्अज्ञानता के आवरणश जैसी अवधारणाओं पर टिका हैए वहीं अंबेडकर का न्याय यथार्थ जीवन में विद्यमान असमानताए शोषण और अपमान के विरुद्ध विद्रोह से उपजा है ;रॉल्सए 1971ए पृ॰ 3ए 11द्ध12य अंबेडकरए 2014ए पृ॰ 46द्ध47द्ध।

सामाजिक न्याय की मूल भावना यह है कि समाज के संसाधनोंए अवसरों और सम्मान का वितरण इस प्रकार हो कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्मए जातिए धर्मए लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न किया जाए। यह केवल वितरणात्मक न्याय तक सीमित नहीं हैए बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा और समाज के सबसे कमजोर वर्ग की विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है। भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय का यह आयाम विशेष रूप से जाति.व्यवस्था और अस्पृश्यता के उन्मूलन से जुड़ा हुआ है ;रॉल्सए 1971ए पृ॰ 3य अंबेडकरए 2014ए पृ॰ 57द्ध58द्ध।

3॰ भारतीय सामाजिक संरचना और अन्याय का स्वरूप

भारतीय समाज की संरचना को समझे बिना सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझना संभव नहीं है। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्ण.व्यवस्था रही हैए जो कालांतर में जन्म.आधारित जाति.व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध कृति श्शूद्र कौन थेछ में यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वर्ण.व्यवस्था ने समाज में असमानता और शोषण की नींव रखी। ब्राह्मण को मुखए क्षत्रिय को भुजाए वैश्य को जंघा और शूद्र को

पैर से जोड़ने वाली यह कल्पना समाज में ऊँच.नीच के पदानुक्रम को धार्मिक स्वीकृति प्रदान करती हैए जिसमें शूद्र और अस्पृश्य वर्ग को सबसे निचले स्थान पर रखकर उन्हें शोषित और अपमानित जीवन जीने के लिए बाध्य किया गया ;अंबेडकरए 1990ए पृ॰ 22दृ24द्ध।

अंबेडकर की दृष्टि में जाति.व्यवस्था केवल श्रम.विभाजन नहीं हैए बल्कि श्रमिकों का विभाजन हैए जो व्यक्ति की रुचि या योग्यता पर नहींए बल्कि जन्म पर आधारित है। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति का पेशा उसके जन्म से पूर्व ही निर्धारित कर दिया जाता हैए और उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीविका चुनने की स्वतंत्रता से वंचित रखा जाता है। इसके अतिरिक्तए यह व्यवस्था विभिन्न वर्गों के बीच ऊँच.नीच का ऐसा क्रम स्थापित करती हैए जो विश्व के किसी अन्य समाज में नहीं पाया जाता ;अंबेडकरए 2014ए पृ॰ 47दृ48द्ध।

अस्पृश्यता इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था का सर्वाधिक अमानवीय रूप थाए जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को केवल एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण समस्त मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। अंबेडकर ने इस पीड़ा को स्वयं भोगा और इसे भाग्य या पूर्वजन्म के कर्मों का फल मानने से स्पष्ट इनकार किया। उन्होंने यह दृढ़ता से कहा कि जब तक इन कुरीतियों को उनके धार्मिक और सामाजिक आधारों सहित समाप्त नहीं किया जाताए तब तक भारतीय समाज में स्वतंत्रताए समानता और बंधुत्व की स्थापना संभव नहीं है। यही कारण था कि अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध न कि किसी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्धए अपना संघर्ष केंद्रित कियाए क्योंकि उनके अनुसार ब्राह्मणवाद वह मानसिकता है जो स्वतंत्रताए समानता और बंधुत्व की भावना का निषेध करती है और जो केवल एक जाति तक सीमित न रहकर समाज के विभिन्न वर्गों में व्याप्त है ;अंबेडकरए 1993ए पृ॰ 665दृ667य कीरए 1954ए पृ॰ 303दृ304द्ध।

4॰ अंबेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना

डॉ॰ अंबेडकर की सामाजिक न्याय की संकल्पना एक ऐसी जीवन.पद्धति की समर्थक हैए जिसमें व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म से नहींए बल्कि उसकी योग्यता और गुणों से निर्धारित हो। उनके दृष्टिकोण में कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर ऊँचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए। उनका सामाजिक न्याय.चिंतन पारस्परिक मान. सम्मानए गरिमापूर्ण जीवनए मैत्रीभावए समान नागरिकता तथा राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में न्यायोचित भागीदारी पर आधारित है ;अंबेडकरए 2014ए पृ॰ 57दृ58द्ध।

अंबेडकर मानते थे कि सामाजिक न्याय राजनीतिक न्याय की पूर्व.शर्त है। उन्होंने बार.बार इस बात पर बल दिया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं हैय जब तक समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना नहीं होतीए तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। संविधान सभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने यह चेतावनी दी थी कि भारत राजनीतिक जीवन में तो श्एक व्यक्तिए एक मतए एक मूल्यश के सिद्धांत को अपनाएगाए किंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी और यह अंतर्विरोध लोकतंत्र के लिए एक स्थायी खतरा बना रहेगा ;संविधान सभा वाद.विवादए 1949ए पृ॰ 979दृ980द्ध।

अंबेडकर का न्याय.सिद्धांत मूलतः समतावादी था। वे चाहते थे कि समाज के सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। इसके विपरीतए जाति.व्यवस्था लोगों के साथ उनके सामाजिक स्तर के आधार पर भिन्न. भिन्न व्यवहार करती है। इसीलिए अंबेडकर का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत जाति.विहीन समाज की परिकल्पना पर आधारित है। वे यह भी मानते थे कि समाज के वंचित वर्गों के हित में असमान व्यवहारए अर्थात् सकारात्मक विभेद या आरक्षणए वस्तुतः सामाजिक सशक्तीकरण का एक न्यायोचित साधन हैए क्योंकि सदियों से चली आ रही ऐतिहासिक असमानता को समाप्त करने के लिए विशेष अवसर और संरक्षण अनिवार्य हैं ;भारत का संविधानए 2026ए अनु॰ 15;4द्धए 16;4द्धए 46द्ध।

5ए सामाजिक न्याय के मूल तत्व

डॉए अंबेडकर के सामाजिक न्याय.सिद्धांत में अनेक ऐसे मूल तत्व सम्मिलित हैं जो समाज को न्यायपूर्ण दिशा में अग्रसर करते हैं। इन तत्वों का समन्वित रूप ही एक न्यायसंगत और मानवीय समाज की आधारशिला है.

- **समानता** रू समानता सामाजिक न्याय की प्रथम शर्त है। अंबेडकर का मानना था कि जब तक समाज में जातिए वर्गए धर्मए लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव बना रहेगाए तब तक न्याय की स्थापना असंभव है। उन्होंने विधि के समक्ष समानता तथा अवसर की समानता दोनों पर बल दिया ;अंबेडकरए 2020ए पृए 532य भारत का संविधानए 2026ए अनुए 14द्16द्ध।
- **स्वतंत्रता** रू स्वतंत्रता केवल राजनीतिक या आर्थिक नहींए बल्कि विचारए अभिव्यक्तिए आचरण और विश्वास की स्वतंत्रता भी है। अंबेडकर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और सोच की स्वतंत्रता मिलनी चाहिएए तभी वह समाज के विकास में सार्थक योगदान दे सकता है ;अंबेडकरए 2020ए पृए 532य भारत का संविधानए 2026ए प्रस्तावना एवं अनुए 19ए 25द्ध।
- **बंधुत्व** रू बंधुत्व का अर्थ है एक.दूसरे के प्रति सम्मानए सहयोग और सहानुभूति का भाव। अंबेडकर ने बंधुत्व को लोकतंत्र की आत्मा बताया। उनके अनुसार केवल कानून नहींए बल्कि सामाजिक और मानवीय संबंध ही समाज को स्थायित्व और एकता प्रदान करते हैं ;अंबेडकरए 2014ए पृए 57य संविधान सभा वाद.विवादए 1949ए पृए 979द्980द्ध।
- **मानव गरिमा** रू सामाजिक न्याय का अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना है। अंबेडकर मानते थे कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को आत्मसम्मान का अधिकार नहीं मिलताए तब तक कोई भी व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं कही जा सकती ;अंबेडकरए 2014ए पृए 57द्58द्ध।
- **अवसर की समानता** रू शिक्षाए रोजगार और सामाजिक प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में समान अवसर के बिना वास्तविक न्याय संभव नहीं है। अंबेडकर के अनुसार अवसरों की समानता से ही समाज में यथार्थ प्रगति और न्याय की स्थापना होती है ;भारत का संविधानए 2026ए अनुए 15द्16ए 46द्ध।

इस प्रकार ये पाँच स्तंभ अंबेडकर के सामाजिक न्याय.सिद्धांत की आधारशिला हैं। उल्लेखनीय है कि इन मूल्यों को उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से नहींए बल्कि गौतम बुद्ध के दर्शन से ग्रहण कियाय करुणाए मैत्री और प्रज्ञा के बौद्ध सिद्धांत उनके सामाजिक पुनर्गठन के दार्शनिक आधार बने।

6ए सामाजिक न्याय की प्राप्ति के साधनरू शिक्षाए संगठनए संघर्ष और धर्मांतरण

अंबेडकर का मानना था कि सामाजिक न्याय की स्थापना स्वतः नहीं होतीए इसके लिए संगठित और सतत प्रयास आवश्यक हैं। उनका प्रसिद्ध उद्घोष श्शिक्षित बनोए संगठित बनोए संघर्ष करोश इसी संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना और स्पष्ट किया कि शिक्षा साक्षरता का पर्याय नहींए बल्कि चेतना और आत्मबल जगाने का साधन है। इसी उद्देश्य से उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा ;1924द्धए डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी तथा पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसी संस्थाओं की स्थापना कीए ताकि वंचित वर्गों तक ज्ञान का प्रकाश पहुँचे ;कीरए 1954ए पृए 55ए 124द्125ए 351ए 380द्ध।

अंबेडकर यह भी जानते थे कि राजनीतिक शक्ति के बिना वंचित वर्गों को न्याय नहीं मिल सकता। इसी उद्देश्य से उन्होंने स्वतंत्र मजदूर दल ;1936द्ध तथा अनुसूचित जाति संघ जैसी संस्थाओं का गठन कियाए जिससे हाशिए के वर्गों की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उनके अनुयायियों ने आगे चलकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। महाड सत्याग्रह ;1927द्ध तथा कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से उन्होंने

अस्पृश्यों के मानवीय अधिकारों के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष किया ;कीरए 1954ए पृ॰ 70ए 74ए 136ृ137ए 285ए 351ए 520य भारत का उच्चतम न्यायालयए 2023ब्द।

गोलमेज सम्मेलनों ;1930ृ1932ब्द में उन्होंने वैश्विक मंच पर दलितों की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया और उनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व की माँग की। यद्यपि पृथक निर्वाचन के प्रश्न पर महात्मा गांधी के साथ मतभेद उभरा और अंततः पूना समझौता ;1932ब्द हुआए तथापि इस समझौते के परिणामस्वरूप दलितों को विधानमंडलों में आरक्षण के रूप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल को संशोधित कर संसद में प्रस्तुत कियाए जो स्त्रियों को संपत्तिए विवाह.विच्छेद और गोद लेने के अधिकार प्रदान कर सामाजिक न्याय को स्त्री.प्रश्न तक विस्तारित करता था ;कीरए 1954ए पृ॰ 147ृ 148ए 214ृ215ए 417ृ418ए 426ृ428ब्द।

अंततः जब उन्हें यह अनुभव हुआ कि परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के भीतर रहकर पूर्ण मुक्ति संभव नहीं हैए तो उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाकर समताए करुणा और तर्क पर आधारित एक वैकल्पिक जीवन.दर्शन का मार्ग चुना। यह धर्मांतरण उनके लिए केवल आस्था का प्रश्न नहींए बल्कि सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना का एक साधन था ;कीरए 1954ए पृ॰ 498ृ500ब्द।

7॰ संवैधानिक प्रावधान और सामाजिक न्याय

अंबेडकर के सामाजिक न्याय.चिंतन का सर्वाधिक ठोस और स्थायी रूप भारतीय संविधान में प्रतिबिंबित होता हैए जिसके प्रारूप निर्माण में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाई। संविधान की प्रस्तावना समस्त नागरिकों को सामाजिकए आर्थिक और राजनीतिक न्यायए स्वतंत्रताए समानता तथा बंधुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त करती है। यह संकल्प केवल आदर्श के रूप में नहींए बल्कि व्यवहार में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति.निदेशक तत्वों के माध्यम से मूर्त रूप लेता है ;कीरए 1954ए पृ॰ 415ृ416ब्द।

मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्मए मूलवंशए जातिए लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता हैए तथा अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन कर उसे दंडनीय अपराध घोषित करता हैए जबकि अनुच्छेद 23 एवं 24 मानव.दुर्व्यापारए बेगार तथा बाल.श्रम जैसी शोषणकारी प्रथाओं पर रोक लगाते हैं। इन प्रावधानों में उन्हीं मानवीय मूल्यों की प्रधानता हैए जो सामाजिक न्याय के सार तत्व को अभिव्यक्त करते हैं ;भारत का संविधानए 2026ए अनु॰ 14ृ17ए 23ृ24ब्द।

राज्य के नीति.निदेशक तत्वों ;अनुच्छेद 36ृ51ब्द में भी सामाजिक न्याय को सकारात्मक रूप से लागू करने के उपाय निहित हैं। अनुच्छेद 38 और 39 सामाजिक.आर्थिक न्याय पर आधारित समाज.व्यवस्था तथा संसाधनों के न्यायोचित वितरण का निर्देश देते हैं। अनुच्छेद 41 से 47 तक कार्यए शिक्षाए लोक सहायताए श्रमिकों की गरिमाए तथा जनता के जीवन.स्तर एवं पोषण.स्तर के उन्नयन जैसी व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसके अतिरिक्तए अनुच्छेद 330 और 332 विधायी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षणए अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय आयोग की व्यवस्थाए तथा अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों की अधिसूचना से संबंधित प्रावधान करते हैं। इन सभी उपबंधों के माध्यम से संविधान सामाजिक न्याय को केवल एक आदर्श नहींए बल्कि एक क्रियाशील संवैधानिक व्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित करता है ;भारत का संविधानए 2026ए अनु॰ 36ृ51ए 330ए 332ए 338ए 341ब्द।

8॰ समकालीन भारत में प्रासंगिकता

वैश्वीकरणए उदारीकरण और तकनीकी प्रगति के इस युग में भी सामाजिकए आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ

पूरी तरह समाप्त नहीं हुई हैं। जातिगत भेदभावए लैंगिक असमानताए वर्गीय विषमता और सामाजिक बहिष्कार जैसे प्रश्न आज भी भारतीय समाज की जड़ों में विद्यमान हैं। दलित समुदाय आज भी शिक्षाए रोजगारए स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान के क्षेत्रों में हाशिए पर बना हुआ है। ऐसे में अंबेडकर की यह चेतावनी और भी प्रासंगिक हो जाती है कि सामाजिक लोकतंत्र के आधार के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिकाऊ नहीं हो सकता ;एनसीईआरटीए 2007ए पृ॰ 139ृ141य पत्र सूचना कार्यालयए 2024य संविधान सभा वाद.विवादए 1949ए पृ॰ 979ृ980द्ध। अंबेडकर का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहाय उनके विचार आज विश्व स्तर पर मानवाधिकारए सामाजिक समानता और गरिमा की स्थापना के लिए प्रेरणा.स्रोत बन चुके हैं। जब विश्व के अनेक देश नस्लीय भेदभावए आर्थिक असंतुलन और सामाजिक अन्याय जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैंए तब अंबेडकर का विचारधारा. आधारित दृष्टिकोण एक अधिक संवेदनशील और न्यायसंगत व्यवस्था की ओर संकेत करता है। उनके सिद्धांत यह स्मरण कराते हैं कि जब तक समाज में समानताए करुणा और मानवीय गरिमा का अभाव हैए तब तक प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास अपने.आप में सार्थक नहीं हो सकते ;अंबेडकरए 2020ए पृ॰ 532य भारत का उच्चतम न्यायालयए 2023इद्ध।

समकालीन संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यवहार में उतारने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के साथ.साथ सामाजिक चेतनाए शिक्षा का विस्तारए संस्थागत सुधार और जन.जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। कागज़ी योजनाओं के स्थान पर एक सुदृढ़ क्रियान्वयन तंत्र की आवश्यकता हैए ताकि वंचित वर्गों को विकास की मुख्यधारा में वास्तविक रूप से सम्मिलित किया जा सके ;भारत का संविधानए 2026ए अनु॰ 38ए 46य पत्र सूचना कार्यालयए 2024द्ध।

9॰ निष्कर्ष

भारतीय संदर्भ में सामाजिक न्याय की अवधारणा को समझने के लिए डॉ॰ भीमराव अंबेडकर का चिंतन अपरिहार्य है। उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल एक सैद्धांतिक विचार न मानकरए उसे भारतीय समाज के पुनर्निर्माण की व्यावहारिक परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रताए समानता और बंधुत्व के त्रिविध मूल्यों पर आधारित उनका न्याय.सिद्धांत जाति और पितृसत्ता की श्रेणीबद्ध व्यवस्था को चुनौती देता है और एक जाति.विहीनए समतामूलक तथा मानवीय समाज की परिकल्पना प्रस्तुत करता है। अंबेडकर ने सामाजिक न्याय को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के लिए शिक्षाए संगठनए संघर्षए संवैधानिक विधि तथा धर्म.परिवर्तन जैसे विविध साधनों का उपयोग किया। किंतु यह भी सत्य है कि उनकी परिकल्पना आज भी पूर्णतः साकार नहीं हो सकी है। भेदभावए ऊँच.नीच की भावना और सामाजिक असमानता अब भी विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। अतः यह आवश्यक है कि राज्यए समाज और शैक्षिक संस्थाएँ मिलकर निरंतर प्रयास करेंए ताकि बचपन से ही समानता और सामाजिक सद्भाव के मूल्य विकसित हों। इस महत्वपूर्ण अवदान के लिए न केवल दलित वर्गए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र अंबेडकर का ऋणी रहेगाए क्योंकि उन्होंने भारत को न्यायए समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित एक समावेशी समाज का स्वप्न और उसका संवैधानिक आधार प्रदान किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अंबेडकरए बी॰ आरण्ए ;1990द्धए हू वर द शूद्राजघ्ए इन वी॰ मून ;संकलनकर्ताद्धए डॉ॰ बाबासाहेब अंबेडकररू राइटिंग्स एंड स्पीचेज ;खंड 7द्धए शिक्षा विभागए महाराष्ट्र सरकार।
2. अंबेडकरए बी॰ आरण्ए ;1993द्धए वेटिंग फॉर ए वीजाए इन वी॰ मून ;संकलनकर्ताद्धए डॉ॰ बाबासाहेब अंबेडकररू राइटिंग्स एंड स्पीचेज ;खंड 12द्धए शिक्षा विभागए महाराष्ट्र सरकार।

3. अंबेडकरए बी॰ आरण्ए ;2014द्धए एनिहिलेशन ऑफ कास्टए इन वी॰ मून ;संकलनकर्ताद्धए डॉ॰ बाबासाहेब अंबेडकरू राइटिंग्स एंड स्पीचेज ;खंड 1ए पृष्ठ 37ृ96द्धए डॉ॰ अंबेडकर फाउंडेशनए ;मूल कार्य 1936 में प्रकाशितद्ध।
4. अंबेडकरए बी॰ आरण्ए ;2020द्धए माय फिलॉसफी ऑफ लाइफ ;ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टए 3 अक्टूबर 1954द्धए इन एच॰ नरकेए एम॰ एल॰ कसारेए एन॰ जी॰ कांबले और ए॰ गोडघाटे ;संपादकद्धए डॉ॰ बाबासाहेब अंबेडकरू राइटिंग्स एंड स्पीचेज ;खंड 17ए भाग 3ए पृष्ठ 532द्धए डॉ॰ अंबेडकर फाउंडेशन।
5. अरस्तूए ;1999द्धए निकोमैकियन एथिक्स ;टी॰ इरविनए अनुवादकय दूसरा संस्करणद्धए हैकेट पब्लिशिंग कंपनी।
6. एनसीईआरटीए ;2007द्धए प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब चिल्ड्रनए जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशनए 33;2द्धए 139ृ151ए ीजजचेरूध्ध्मरवनतदंसेण्दबमतजण्हवअण्पदध्पदकमगण्चीचध्रपमध्ंतजपबसमध्अपमूध्832।
7. कीरए डीण्ए ;1954द्धए डॉ॰ अंबेडकरू लाइफ एंड मिशनए पॉपुलर प्रकाशन।
8. पत्र सूचना कार्यालयए ;2024ए 16 फरवरीद्धए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स सबमिट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ख्प्रेस विज्ञप्ति,ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालयए भारत सरकारए ीजजचेरूध्ध्ूच्चपइण्हवअण्पदध्त्तमेत्मसमेंमच्ंहमण्ेंचगघ्त्प्क्त्र2006663।
9. प्लेटोए ;1992द्धए रिपब्लिक ;जी॰ एम॰ ए॰ ग्र्यूबए अनुवादकय सी॰ डी॰ सी॰ रीवए संशोधितद्धए हैकेट पब्लिशिंग कंपनी।
10. भारत का उच्चतम न्यायालयए ;2023ेद्धए महाड सत्याग्रहए ीजजचेरूध्ध्ंचपण्ेबपण्हवअण्पदध्।डठध्ठींकेंजलंहतींण्चीच।
11. भारत का उच्चतम न्यायालयए ;2023इद्धए डॉ॰ बी॰ आर॰ अंबेडकर्स स्पीचेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीए ीजजचेरूध्ध्ंचपण्ेबपण्हवअण्पदध्।डठध्ैचममबीण्चीच।
12. भारत सरकारए विधायी विभागए ;2026द्धए भारत का संविधान ;अद्यतन संस्करणद्धए विधि एवं न्याय मंत्रालयए ीजजचेरूध्ध्ूण्समहपेसंजपअमण्हवअण्पदध्बवदेजपजनजपवद.वि.पिदकपं।
13. रॉल्सए जेण्ए ;1971द्धए ए थ्योरी ऑफ जस्टिसए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
14. संविधान सभा वाद.विवादए ;1949ए 25 नवंबरद्धए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स ;खंड 11ए पृष्ठ 975ृ982द्धए ीजजचेरूध्ध्ूण्बवदेजपजनजपवदवपिदकपंण्दमजध्कमइंजमेध्25.दवअ.1949ध।